

# न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा आज्ञा - पत्र

उनवान

..... नारायण सिंह ..... बनाम श्रीमती गुलाब मृतक / रामचन्द्र कौर  
 किस्म मुकदमा ..... धारा 225 ..... मि. नं. 2021/44 सन् .....  
 अभिभाषक अपीलान्त ..... श्री दशराम सेन ..... अभिभाषक रैस्पॉन्डेंट श्री एचके जेन .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

1-4-2021

पत्रावली अभिभाषक अपीलान्त के पार्थना पत्र वाती विद्दी किसे ज्ञाने अपील हेतु पेश हुई / पार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एवं अभिभाषक अपीलान्त को सुना गया / पार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से रजनीनामा हो गया है इस कारण पक्षकारों के मध्य कोई कादु विवाद शेष नहीं होने से अपीलान्त उक्त प्रकरण को जगो नहीं चलाया जायगा है / अतः अपील विद्दी की जगस / पार्थना पत्र स्वीकार किया जायगा है / एवं पार्थना पत्रानुसार अपील अपीलान्त विद्दी किसे ज्ञाने से रिकॉर्ड कीजगी है / पत्रावली फंसल मुसार् होकर बादनामील नकलील डाखिल दफ्तर ही /

(महेन्द्र लोका)  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी  
 एवं  
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
 कोटा (राज.)

श्री कपूराम के 31 अ  
पुत्रा के 31 अ; शीश बाद जान  
रिपोर्ट के

(महेन्द्र लोका)  
मु-प्रबन्ध अधिकारी  
खे 3/21

न्यायालय मु-प्रबन्ध (अपील) अधिकारी एवम पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा  
अपील स0



8-3-21

कैबिनेट संलग्न

नारायणसिंह आत्मज श्री करण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढाकनी जिला  
झालावाड़ राजस्थान - अपीलान्त

बनाम

1- श्रीमति गुलाब बेवा सन्तुनाथ जी जाति नाथ निवासी रामठी मृत्क जरये  
कायम कायम मुकामान -

✓ 1/1 रामचन्द्र आ0 सन्तुनाथ जी जाति नाथ

1/2 प्रभू बाई पुत्री सन्तुनाथ जी जाति नाथ

✓ 2-घनश्याम आत्मज सन्तुनाथ जाति नाथ नि0 रामठी

3- मदनलाल आत्मज श्री सन्तुनाथ नि0 रामठी

4- श्रीमति हीरा बाई पुत्री सन्तुनाथ जी नि0 रामठी

5- श्रीमति नन्दू बाई दोहिती सन्तुनाथ नि.0 रामठी

जिला झालावाड़ - वादी रेष्यो0

6- श्रीमतिगुलाब बाई पुत्री धन्ना पत्नि रोडूलाल नाथ नि. रामठी हाल मुकाम  
सिरपोई गुजरान तहसील पिडावा जिला झालावाड़

7- श्रीमति सुन्दर बाई पत्नि धन्ना नाथ जाति नाथ निवासी ढाकनी

8- श्रीमति भूली बाई पुत्री सन्तुनाथ पत्नि देवीलाल नि. भवानीमंडी जिला  
झालावाड़

9- बालचन्द्र पुत्र प्रभूनाथ जी जाति नाथ निवासी माथनिया तहसील पिडावा

10- कृष्णा बाई पत्नि मुकुट बिहारी जाति ब्राहमण निवासी भवानमंडी

6/1/21  
7/1/21  
8/1/21  
9/1/21  
10/1/21

- 11- निर्मला बाई पत्नि देवीलाल जाति प्रजापति नि० भवानीमंडी
- 12-सरदार सिंह आ० अमरसिंह राजपूत निवासी ढाकनी
- 13- सरकार जये तहसीलदार पचपहाड़
- 14- भेरूलाल उर्फ रामभरोस आत्मज धन्नालाल नाथ बाबा निवासी रामठी  
हाल रायपुर तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ - रेस्पों. प्रति०

अपील विरुद्ध निर्णय एवम डिक्री न्यायालय  
उपखंड अधिकारी भवानीमंडी दिनांक 10-2-2021  
अन्तर्गत धारा 223 दी राज०टे० एक्ट 1955  
प्रकरण स० 169/2011

मान्यवर,

प्रार्थी अपीलान्त निम्न निवेदन करता है-

1- यह कि निर्णय एवम डिक्री जेर अपील कानून न्याय एवम तथ्यों के सर्वथा विपरीत है।

2- यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने कतई गलत रूप से वादीगण रेस्पों के कथनों पर भरोसा कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर निर्णय एवम डिक्री प्रदान करने में त्रुटि की है।

3- यह कि अपीलान्त जो कि एक बोनाफाइड परचेजर है तथा उसने राजस्व रिकार्ड के आधार पर रेस्पों श्रीमति गुलाब बाई व श्रीमति सुन्दर बाई से उनका 1/9, 1/9 हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा उक्त आराजी रजि० विक्रय पर के आधार पर अपीलान्त के खाते दर्ज हो चुका है तथा अपीलान्त 2/9 हिस्से पर काबिज काश्त है।

